



①
78

Ry 72-8816

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- 12016 निगरानी

गौरीशंकर पुत्र श्री प्रेमशंकर, उम्र-
67 वर्ष व्यवसाय-पटेली, निवासी-
ग्राम सरा तहसील मुलताई जिला
बैतूल (म0प्र0)

----आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार
मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0)

----अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता
1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 17.11.2016 पारित द्वारा
न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण

क्रमांक-04/ए/16-17 एवं तहसीलदार मुलताई के प्रकरण
क्रमांक- 04 म 55/वर्ष 2015-16 आपरी दिनांक 22/06/2015 से
माननीय न्यायालय,

व्रजेन्द्र सिंह vyas
08/11/16 को

वृत्त
ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर
730
8/12/16

व्रजेन्द्र सिंह
8/12/16

[Handwritten signature]

R. 4172-PBR/16 लक्ष्म

14.12.2016

आवेदक की डाट ल श्री बीरल
प्राकृत आरोग्यशास्त्र उपाध्यक्ष। तब सुने जाये।
उनका कहना है कि वे ग्राम के परेब हैं
और उन्हें बिना हटाने परेब की नियमित
की जा रही है। अतः तहसीलदार
को निर्देश दिये जाते हैं कि वे सर्वप्रथम
आवेदक के आवेदन पत्र का विवरण
को तत्परचात आयोग कार्यवाही करें।
इस प्रकार में कोई कार्यवाही रोष
जमी होने से समाप्त किया जाता है।

Noted
14/12/16
[Signature]

[Signature]

[Signature]
अध्यक्ष